सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 13, बुधवार, शाके 1935–सितम्बर 4, 2013
Bhadra 13, Wednesday, Saka 1935–September 4,2013

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 4, 2013

जी.एस.आर. 50:–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन.– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 17 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(क) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन बारह मास की अधिकतम कालावधि के लिए राज्य सरकार के विभागों या उनसे संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रत्येक मामले में पांच लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक और अन्य उपापन संस्थाओं के लिये प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएं भाड़े पर लेना आवश्यक हो; या"

3. नियम 40 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 40 के उप–नियम (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 43 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 43 में,–

(i) उप–नियम (6) की सारणी में, क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 के मद (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दैनिक समाचार पत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (6) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप–नियम (7) की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 के मद (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दैनिक समाचार पत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप–नियम (7) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 73 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 73 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (1) हटाया जायेगा।

(ii) विद्यमान उप–नियम (2) और (3) को उप–नियम (1) और (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

(iii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :–

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।"

6. नियम 75 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 75 के उप–नियम (3) में, विद्यमान खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (च) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(च) संकर्मों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के दस प्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।"

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी. एफ. एण्ड ए. आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,
अखिल अरोरा,
शासन सचिव
वित्त (बजट)

FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, September 4, 2013

G.S.R. 50.–In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 17.- The existing clause (a) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, herein after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(a) Hiring of the services of consultant or professional is required, for a maximum period of twelve months and

up to financial limit of Rupees five lakh in each case, subject to delegation of financial powers for the departments of State Government or its attached or subordinate offices and in case of all other procuring entities above limit shall be Rupees twelve lakh in each case, subject to delegation of financial powers; or"

3. Amendment of rule 40.- In proviso to sub-rule (1) of rule 40 of the said rules, for the existing expression "State Government", the expression "competent authority authorised by the State Government for the purpose" shall be substituted.

4. Amendment of rule 43.- In rule 43 of the said rules,-

(i) in table of sub-rule (6), in item (iii) of column number 4 against serial number 3, for the existing expression "English daily news paper", the expression "daily news paper" shall be substituted.

(ii) in proviso to sub-rule (6), for the existing expression "State Government", the expression "competent authority authorised by the State Government for the purpose" shall be substituted.

(iii) in table of sub-rule (7), in item (iii) of column number 4 against serial number 4, for the existing expression "daily English news paper", the expression "daily news paper" shall be substituted.

(iv) in proviso to sub-rule (7), for the existing expression "State Government", the expression "competent authority authorised by the State Government for the purpose" shall be substituted.

5. Amendment of rule 73.- In rule 73 of the said rules,-

(i) the existing sub-rule (1) shall be deleted.

(ii) the existing sub-rule (2) and (3) shall be renumbered as sub-rule (1) and (2).

(iii) the sub-rule (2), so renumbered, shall be substituted by the following, namely:-

"(2) Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the

bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract."

6. Amendment of rule 75.- In sub-rule (3) of rule 75 of the said rules, after the existing clause (e), the following new clause (f) shall be added, namely:-

"(f) In case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @10% of the amount of the bill."

[No. F.1 (8) FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Akhil Arora,
Secretary to the Government
Finance (Budget)